स्पिड पोस्ट
दिनांकः 05/02/2022

सेवामें,
निदेशक एवं सी0पी0आई0ओ0
भारतीय वन्यजीव संस्थान
चद्रबनी, देहरादून–248001
उत्तराखण्ड

1. अनुरोध कर्ता का नाम : श्री बलबीरसिंह चौहान।

2. पिता का नाम : स्व0 श्री जयसिंह चौहान।

3. निम्नलिखित सूचना आपके कार्यालय से मांगी जाने का स्पष्ट विवरणः–

1. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि "माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल" उत्तराखण्ड ने दिनांक 19–07–2018 को "माननीय "न्यायाधीश राजीव शर्मा" ने जिस **letter No.F.No. A/11013 /16/ 2014 Ad.IV dated 28-01-2015** के वह उस **letter No.F.No. A/11013/16/2014 Ad.IV dated 28-01-2015** को आधार मानते हुए व इसके द्वारा आवेदनकर्ता के याचिका **Case No. WPSS-1057of S/S of 2016** को अपने निर्णय में आवेदनकर्ता को व के पक्ष में दिये गये न्याय पत्र में दिनांक 27/11/2002 से वेतनमान रूपये 4500–7000 व साथ में 9 प्रतिशत ब्याज सहित **with all consequentional benefit including benefits towars A.C.P. and "Assessment Scheame"** के अन्तर्गत आने वाले वेतनमानों का आर्थिक लाभ इस पत्रानुसार आवेदनकर्ता के पक्ष में दिये गये न्याय व निर्णय की व साथ में जिस पत्र के द्वारा आवेदनकर्ता को वेतनमान रूपये 4500–7000 दिनांक 27/11/2002 से और **with all cansequentioal benefits including benefits towards A.C.P and "Assessment Scheme"** के अन्तर्गत जो–जो वेतनमान व **(Merger Pay Scales)** व सारे वेतनमानों का आर्थिक लाभ दिये जॉय। इस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड के न्यायाधीश ने जिस पत्रानुसार आवेदनकर्ता के पक्ष में व के अनुसार निर्णय दिया गया है उस पत्र की व साथ में "माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड के न्याय पत्र **(F.No. A /11013 /16/2014 Ad.IV dated 28/05/2015)** की और न्यायालय ने जो कापी कार्यालय को दी गयी है उस न्याय पत्र की व **High Court** के **Judgement** की भी एक प्रति स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

2. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान में 6^{th} **CPC (Grade Pay Rs.4600)** में जिसकी **Grade Pay Rs.4600** है उस वेतनमान के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

CPIO (RTI)

DWII OFFICE
DIARY NO. 4575
DATE 07/2/22

3. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि आवेदनकर्ता के इन तीनों मुकदमों में दो सालों तक का व न्याय न आने तक का याचिका संख्या–**(WPSS-1057 of S/S of 2016, WPSS-1911 of 2016 and Contempt Application No.780 of 2018)** जोकि **Contempt Application No.780 of 2018** यह है जोकि माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड में अभी भी विचाराधीन है इन तीनों मुकदमों में आवेदनकर्ता के कुल खर्चा दो वर्षों में रूपये 225300/– (रूपये दो लाख पच्चीस हजार तीन सौ का खर्चा हुआ है) का व्यय व खर्चा हुआ व लगा है इस खर्चे की भरपाई जिन अधिकारियों के कारण हुआ व आवेदनकर्ता को मजबूरन से माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड में न्याय मांगने के लिए व उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा व इन तीनों अधिकारियों ने आवेदनकर्ता को न्यायालय में जाने के लिए मजबूर किया गया है इसके लिए श्री राजीव मेहता प्रशासनिक अधीक्षक, प्रशासनिक अनुभाग अधिकारी **(Section Officer)** व श्री अरूण कुमार दुबे, वरिष्ठ लेखाकार **(Senior Accountant)** इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि जिस दौरान आवेदनकर्ता के सेवा पंजिका में ऑडिट पार्टी ने दिनांक 26/09/2013 को रेमार्क के रूप में वेतनमान रूपये 4500–7000 दिये जाने के बारे में **C&AG New Delhi** से जो ऑडिट पार्टी आई थी उस दौरान श्री अरूण कुमार दुबे वित्त अनुभाग में वरिष्ठ लेखाकार के पद थे व श्री राजीव मेहता प्रशासनिक अधीक्षक व प्रशासनिक अनुभाग अधिकारी के पद पर **(Section Officer)** थे यह मसौदा इन तीनों अधिकारियों के सामने व देख–रेख में हुआ था लेकिन फिर भी इन तीनों अधिकारियों के द्वारा इसे जानबूज कर नजरअंदाज व इसकी अनदेखी की गयी है जबकि इन तीनों अधिकारियों को यह सब पता था कि जो ऑडिट पार्टी ने आपदेनकर्ता के सेवा पंजिका में वेतनमान रूपये 4500–7000 देने के लिए **Remark** के रूप में जो लिखा गया है वह सही व उचित था लेकिन इन तीनों अधिकारियों ने इसे जानबूज कर नजरअंदाज किये जाने पर इन तीनों अधिकारियों पर कार्यालय द्वारा जो भी कार्रवाई की गयी है इस प्रकार से इन तीनों अधिकारियों के द्वारा इसकी अनदेखी करने करने के लिए व करते हुए व जानबूज कर अनदेखी करते हुए इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ व कार्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई की स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। जिन अधिकारियों ने आडिट पार्टी के इस नोट पर अनदेखी करते हुए व नजरअंदाज किया गया है उन अधिकारियों पर कार्यालय द्वारा जो भी कार्रवाई की गयी है उसकी स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें और साथ में इन तीनों अधिकारियों के द्वारा आवेदनकर्ता को परेशान किये जाने पर व किये जाने के लिए व कार्यालय के द्वारा न्यायालय में वकील का सरकारी खर्चे किये जाने पर इन तीनों अधिकारियों पर इसके लिए कार्यालय द्वारा जो जिम्मेदारी फिक्स की गयी है साथ में उस जिम्मेदारी के लिए फिक्स किये जाने की भी स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। **Annexure-I**

4. यह है कि आवेदनकर्ता का इस पत्र के द्वारा यह कहना है कि **No-WII/RSAC/01/2019 dated 27th October 2020** को संस्थान के आन्तरिक समिति ने यह निर्णय दिया गया था कि आवेदनकर्ता को दिनांक 27/11/2009 से **Grade Pay Rs.4600** का वेतनमान व दिनांक 27/11/2016 से **Grade Pay Rs.4800** का वेतनमान दिया जाएगा। लेकिन इस पर निर्णय एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी इस दोनों वेतनमान का आर्थिक लाभ अभी तक आवेदनकर्ता का नहीं मिला व न दिया गया है इस प्रकार

से इस पर कार्यालय द्वारा अभी तक इस पर की गयी कार्रवाई की एक प्रति व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

5. यह है कि आवेदनकर्ता का यह भी कहना है कि- **Annexure-A** कार्यालय आदेश के द्वारा संलग्न परिपत्र व कार्यालय आदेश संख्या–**WII/FIN/2018-19/83 dated 01st February 2019** को संस्थान में **(Audit Party, C&AG New Delhi)** श्री दिनेश कुमार, सीनियर ऑडिट अधिकारी के नेतृत्तव 5 सदस्यों की आडिट पार्टी संस्थान के आडिट करने आयी थी व इस आडिट पार्टी ने संस्थान के सभी निम्न वर्ग के कर्मचारियों को दिये गये वित्तीय वर्ष 2015–2016 व 2016–2017 का जो 2 वर्षों का बोनस दिया गया था लेकिन इस आडिट पार्टी के द्वारा संस्थान के समस्त निम्न वर्ग के कर्मचारियों का वित्तीय वर्ष 2015–2016 व 2016–2017 का बोनस की वसूली करवाने का आदेश लिखित में दिया गया है और कार्यालय द्वारा इन वित्तीय वर्ष 2015–2016 व 2016–2017 के बोनस की वसूली की गयी है कार्यालय के अधीक्षक व वित्त अधिकारी का इस पर यही कहना था कि जिस बोनस की वसूली की गयी है उसे आडिट पार्टी के कहने पर इस बोनस की वसूली की गयी है आवेदनकर्ता का इस पर यह कहना है कि अगर ऑडिट पार्टी ने इसे वसूली करवाने को कहा गया है तो आडिट पार्टी के द्वारा जारी किये गये पैरा न0 दिया गया व जारी किया होगा वह आडिट पार्टी के द्वारा कोई पैरा न0 जारी किया गया होगा। इस प्रकार से ऑडिट पार्टी के उस पैरा न0 की एक प्रति व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। जिस पैरा न0 के अनुसार इस बोनस व निम्न वर्ग के कर्मचारियों के बोनस की वसूली का आदेश दिया गया है उस आडिट पार्टी के पैरा न0–की प्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

6. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान में मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के लिए जो–जो वेतनमान नियुक्तियों के लिए व पदोन्नतियों के लिए **6th CPC** के अनुसार जो–जो वेतनमान है उन वेतनमानों के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

7. यह है कि आवेदनकर्ता का यह भी कहना है कि संस्थान में मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के लिए संस्थान में कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों के लिए जो समयावधि सीमा रखी गयी है उन उस पदोन्नतियों के लिए समयावधि की उसकी स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

8. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि तकनीकी कर्मचारियों को किसी–किसी अधिकारियों को **PB-4, Level-14, Grade Pay Rs.10000** का वेतनमान दिया जा रहा है जोकि भारत सरकार के भिन्न–भिन्न मंत्रालयों में सविचों के पदों के कर्मचारियों व मंत्रालयों में वैज्ञानिक वर्ग के अधिकारियों का वेतनमान है व संस्थान में वैज्ञानिक-G के समरूप के वेतनमान है और संस्थान के द्वारा ऐसे वेतनमानों को भारत सरकार के जिस नियमानुसार यह वेतनमान तकनीकी अधिकारियों को दिये जा रहे हैं वह भारत

सरकार के उस नियमावली की स्पष्ट व एक प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें जिस नियमानुसार संस्थान में यह वेतनमान तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं।

9. यह है कि आवेदनकर्ता का यह भी कहना है कि श्री अरूण कुमार दुबे **(IAO)** आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी को संस्थान ने वित्त अनुभाग में **(IAO)** व संस्थान में एक विशेष व मुख्य पद माना जाता है तथा उन्हें यह सब जानकारी थी कि जो वे वेतनमान **[PB-4, Level-13 and Grade Pay Rs.8700]** का खुद ले रहे हैं व दिया जा रहा है वह भारत सरकार के नियम विरूद्ध है यही नहीं यह वेतनमान संस्थान के वैज्ञानिक वर्ग-**E [PB-4, Level-13 and Grade Pay Rs.8700]** के समरूप का वेतनमान है जोकि श्री अरूण कुमार दुबे जी को दिये जाने वाले वेतनमान को भारत सरकार के नियम विरूद्ध यह वेतनमान लिया जा रहा था वह दिया गया है इस प्रकार से श्री अरूण कुमार दुबे जी को इस संस्थान में एक जिम्मेदारी के पद नियुक्त व **IAO** के पद पर थे सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि माननीय उच्च न्यायाल ने उनके अपने **Special Appleal No. 826 of 2019** न्याय पत्र में व न्याय याचिका के विशेष अपील में ऐसा कहीं पर भी आदेश नहीं दिया गया है वह न्यायालय व कोर्ट के द्वारा **Special Appleal** में भी ऐसा कहीं पर भी इस **Special Appleal No. 826 of 2019** के अपने निर्णय में व न्याय पत्र में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि श्री अरूण कुमार दुबे जी को **(IAO)** यह वेतनमान **PB-4, Level-13 and Grade Pay Rs.8700** का वेतनमान दिया जॉय है इस प्रकार से श्री अरूण कुमार दुबे जी को यह वेतनमान दिये जाने के बारे में वह भारत सरकार के जिस नियमानुसार यह वेतनमान दिया गया है भारत सरकार के उस नियमावली की स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने महति कृपा करें।

10. यह है कि आवेदनकर्ता का **Annexure-B** के द्वारा यह कहना है कि- **IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL, M.D. Gupta** के याचिका में **Writ Petition (S/S) No.1580 OF 2011** के द्वारा श्री राजीव मेहता प्रशासनिक अधीक्षक, प्रशासनिक अनुभाग अधिकारी व वर्तमान शैक्षणिक अधिकारी को संस्थान में अधिकांश कर्मचारियों की अनेक प्रकार से की गयी वेतन विसंगतियों, गलत पदोन्नतियां व गलत वेतन अनियमितताओं में किये जाने पर, 2011 की रिट–याचिका (एस/एस) संख्या 1580 दिनांक 26/05/2015 के माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड के माननीय न्यायाधीश ने अपने निर्णय में साफ शब्दों में कहा गया है कि तथा माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि संस्थान के निदेशक को उन उत्तरदाताओं को वापस करने के लिए उचित कदम उठाने का भी आदेश दिया गया है, जिन्हें नियमों के अनुसार अवैध पदोन्नतियां मिली है। आदेश का अनुपालन यथाशीघ्र किया जाए, लेकिन छह सप्ताह के भीतर नहीं, अन्यथा अदालत ऐसे अपराधी अधिकारियों और कार्यालय अधीक्षक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने पर विचार कर सकती है, जो निदेशक के साथ साजिश कर सकते हैं। (The Director of the Institute is also ordered to take appropriate steps to revert back those respondents who have got illegal promotions de hors the Rules. Let the compliance of the order be made as quickly as possible bit not later than within six weeks, otherwise the Court

may contemplate to lodge the FIR against such delinquent officials and the office superintendent as well, who may be in conspiracy with the Director. The Court may further consider to lodge an FIR against the Director as well as the Office superintendent besides entrusting the matter to the CBI for holding enquiry in the matter). अदालत इस मामले में जांच करने के लिए सीबीआई को सौंपने के अलावा निदेशक के साथ–साथ कार्यालय अधीक्षक के भी खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर भी विचार कर सकती है। इस प्रकार से संस्थान में जितनी भी वेतन विसंगतियां हुई है वह सब श्री पी0के0 अग्रवाल, प्रशासनिक अधिकारी जी, श्री राजीव मेहता, प्रशासनिक अधीक्षक जी व साथ में श्री अरूण कुमार दुबे जी, सेवानिवृत्त आन्तरीक लेखा परीक्षा अधिकारी **(Internal Adit Officer)** भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितने श्री पी0के0 अग्रवाल जी हैं इस प्रकार इन चारों अधिकारियों पुर्व निदेशक सहित साथ में इन तीनों अधिकारियों पर संस्थान में की गयी व दी गयी गलत पदोन्नतियों व गलतियों तथा व वेतनमानों में की गयी विसंगलियों व मनमानी रूप से दी गयी पदोन्नतियों व त्रुटियां पर त्रुटियां की जाने पर कार्यालय द्वारा इन अधिकारियों पर जिम्मेदारी फिक्स की चाहिए थी माननीय उच्च न्यायालय ने उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करवाने का आदेश भी दिया गया था इस प्रकार इन चारों अधिकारियों पर कार्यालय व संस्थान के निदेशक के द्वारा व न्यायालय के आदेश पर इन अधिकारियों पर कार्यालय द्वारा अभी तक की गयी कार्रवाई की एक स्पष्ट व प्रमाणित सूचना व इन अधिकारियों ने जो गलत तरीके से पदोन्नतियां व वेतन विसंगतियां की जाने पर वह इन अधिकारियों के द्वारा बार–बार गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं व इन अधिकारियों ने जो वेतन विसंगतियां व पदोन्नतियां में की गयी गलतियों के लिए कार्यालय द्वारा इन अधिकारियों पर इसके लिए कार्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई की स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें जो अधिकारी इस प्रकार की बार–बार गलतियों पर गलतियां करते जा रहें हैं वह कार्यालय द्वारा इन अधिकारियों पर जो भी न्यायालयल के आदेशानुसार की गयी गलतियों के लिए कार्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई की स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

11. यह है कि आवेदनकर्ता का **Annexure-C** पर यह कहना है कि इन अधिकारियों के द्वारा वेतनमानों व गलत तरीके से पदोन्नतियों की गयी व दी गयी है व वेतनमानों में अनेकों विसंगतियों में इतनी खामियां व पदोन्नतियों पर भी **(Pay Promotion Anomaly)** की गयी अनुचित विसंगतियां व गलतियों के लिए इन अधिकारियों पर संस्थान में कई तरह से वेतन विसंगयिों की गयी है अनेकों त्रुटियों व **(Pay Promotion Anomaly)** के लिए इस **Special Appeal No. 826 Of 2019** न्याय अपील में व के आदेश में भी व इस न्याय आदेश में भी की गयी गलत तरीके की गयी व दी गयी पदोन्नतियों के लिए व मनमानी तरीके के द्वारा दी गयी पदोन्नतियों के लिए श्री राजीव मेहता, प्रशासनिक अधीक्षक, प्रशासनिक अनुभाग अधिकारी को <u>इस **Special Appeal No. 826 Of 2019** अपील में भी</u> माननीय न्यायाधीश ने अपने निर्णय में दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है व निर्णय दिया गया है कि- **Point No.5** While quashing the clause prescribed in the 2007 Rules, which provided that "The present incumbent on the post of Hindi Translator will remain in the feeder channe for promotion to the posts of Section Officer and in future, the isolated pos of Hindi Translator will get promotional avenues as per Government of India, guidelines", the learned Single Judge

directed the Director of the appellant-Institute to take appropriate steps to revert back those respondents who were given illegal promotion de hors the Rules. The learned Single Judge observed that if the order was not compied with, he would contemplate loging an FIR against the delinquent officials, and the office superintendent who had conspired with the Director, and he may further consider lodging an FIR against the Director as well as the office superintendent, besides entrusting the matter to the CBI for holding an inquiry into matter). इस प्रकार से आवेदनकर्ता का यह कहना है कि **Writ Petition (S/S) No.1580 OF 2011** के न्याय पत्र में भी व **Special Appeal No. 826 Of 2019** के अपील में भी वह दोनों न्याय पत्रों पर कार्यालय अधीक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाने के लिए कहा गया है इस प्रकार से संस्थान के अधीक्षक पर कार्यालय द्वारा जो भी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए इन दोनों मुकदमों में श्री राजीव मेहता, प्रशासनिक, अधीक्षक पर कार्यालय द्वारा जो भी इन दोनों **(M.D. Gupta, Writ Petition (S/S) No.1580 of 2011 and Arun Kumar Dubey)** के दोनों निर्णय आदेश–पत्रों में व निर्णय पर माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया गया है की अधीक्षक के खिलाफ गलतियों के लिए कार्यालय द्वारा उचित कार्रवाई करते हुए व जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए थी लेकिन कार्यालय अभी तक इस पर अधीक्षक प कार्यालय के द्वारा जो भी कार्रवाई की गयी है उस कार्रवाई की स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

12. यह है कि आवेदनकर्ता का **Annexure-B and Annexure-C** के द्वारा यह कहना है कि अधीक्षक का नाम न्यायालय आदेश व निर्णय में बार–बार वेतनमानों में विसंगलियों व गलत तरीके पदोन्नतियां दी जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में आने पर अनेक वेतन व पदोन्नतियों पर विसंगतियों व त्रुटियों के कारण प्रशासनिक अधीक्षक का नाम न्यायालय द्वारा उज्जाकर किये जाने पर व कार्यालय द्वारा अधीक्षक के खिलाफ वेतन विसंगतियों व गलत तरीकों से की गयी पदोन्नतियां वह दिये जाने के कारण उन पर कार्यालय अधीक्षक पर कार्यालय के द्वारा जो भी कार्रवाई की गयी है उस कार्रवाई की जाने वाली की स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

13. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान के पूर्व निदेशक के द्वारा **Office order no. WII/ADM/2011-12/017 (Part) dated 07-07-2015** के कार्यालय आदेश में **(B) <u>Ministerial Cadre</u> :-** पर यह कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी, श्री पी0के0 अग्रवाल दिनांक 07/08/2015 को वेतनमान व **Grade Pay Rs.5400** के वेतनमान पर थे लेकिन 6 वर्षों के बाद सीधे व 2019 में **PB-4, Level - 13A, Grade Pay Rs.8900** का वेतनमान को संस्थान में, दिये गये हैं भारत सरकार के जिस नियमानुसार यह वेतनमान दिये जा रहे हैं व ले रहें हैं भारत सरकार के उस नियमावली की स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने महति कृपा करें।

14. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान के पूर्व निदेशक के द्वारा Office order no. WII/ADM/2011-12/017 (Part) dated 07-08-2015 के कार्यालय आदेश में **(B) Ministerial Cadre:- Page No. 6** पर यह कहना है कि इस आदेश में सभी मिनिस्ट्रीयल वर्ग के कर्मचारियों व उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग **(Assistant-II and UDC)** के कर्मचारियों को दिनांक 07/07/2015 के पत्रांक के अनुसार **PB-1, Level-4 and Grade Pay Rs.2400** के वेतनमान में थे लेकिन आज 2019 में, किसी को **Grade Pay Rs.2400 to Rs.4200** किसी को **Grade Pay Rs.5400** किसी को **Grade Pay Rs.6600**, किसी को **Grade Pay Rs.7600** किसी को **Grade Pay Rs.8700** का वेतनमान दिया गया है दिया जा रहा है। इस प्रकार से इस पर यह स्पष्ट करें कि भारत सरकार के जिस नियमानुसार वैज्ञानिक वर्गों के समरूप का वेतनमान दिये जा रहे है भारत सरकार के उस नियमावली की एक व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें भारत सरकार के जिस नियमानुार मिनिस्ट्रीयल वर्ग के कर्मचारियों को यह वेतनमान दिये जा रहें हैं इस प्रकार से मिनिस्ट्रीयल वर्ग के कर्मचारियों को जोकि दिनांक 07/07/2015 को **UDC** वर्ग के सभी कर्मचारियों व अधिकारी सब एक ही **Grade Pay Rs.2400** पर थे और 2015 के बाद उन सभी को अलग–अलग वेतनमान व साथ में 6 वर्ष के अन्तराल में व उपरान्त व के बाद में यानी दिनांक 07/07/2015 के पत्रानुसार किसी अधिकारी व कर्मचारी को **Grade Pay Rs.5400** पर, किसी अधिकारी व कर्मचारी को **Grade Pay Rs.6600** पर, किसी अधिकारी व कर्मचारी को **Grade Pay Rs.7600** पर, व किसी अधिकारी व कर्मचारी को **Grade Pay Rs.8700** पर 6 वर्षों समयावधि में इस प्रकार से मनमाफिक के अनुसार जो वेतनमान व पदोन्नतियां दी गयी है वह मनमानेनुसार वह भारत सरकार के नियम विरूद्ध तरीके से इन कर्मचारियों व अधिकारियों को यह वेतनमान दिये गये हैं भारत सरकार के जिस नियमानुसार इन कर्मचारियों को यह वेतनमान दिये गये हैं भारत सरकार के जिस नियमुनसार यह वेतनमान दिये गये वह दिये जा रहे हैं उसकी स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

15. आवेदन कर्ता द्वारा जमा शुल्क करने का प्रमाण–पत्र : धनराशि रूपये 10/–पोस्टल आर्डर **54F 420109** दिनांकः 05/02/2022 को शुल्क के रूप में संलग्न है।

16. आवेदकर्ता का नाम व हस्ताक्षर व पता :

बलबीर सिंह चौहान
05/02/2022

(बलबीरसिंह चौहान)
मकान न0–1, लेन न0–1,
महिमा एनक्लेव केहरी गॉव,
पो0ओ0–चन्दनवाड़ी, प्रेमनगर,
देहरादून–248007, उत्तराखण्ड
मोबाई न0–9411108609

Annexure-I

Nalin S. Saun
Regd. No. UK - 266/11
Oath Commissioner
High Court of Uttarakhand
At - Nainital
Sl. No. 12043
Date 25/5/12

ANNEXURE-9

(42)

IV—सेवा वृत्त तथा उसका सत्यापन
IV—History and Verification of Service

क्रम सं. No.	अवधि Period से From	तक To	पद, वेतनमान तथा कार्यालय (स्थान सहित) Post, scale of pay and office (with station)	वेतन Pay मूल Substantive	स्थानापन्न Officiating	खाना 4-6 को प्रभावित करने वाली घटना (देखिए अनुदेश 10) Event affecting cols. 4-6 [vide instruction 10]	साक्ष्यांकन अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम (तारीख सहित) Signature and designation of attesting officer (with date)	सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम (तारीख सहित) Signature and designation of verifying officer (with date)	सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of the Government Servant	अभ्युक्तियां Remarks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Service verified upto 31-3-2007
from the pay bills book concerned

Administrative Officer
Wildlife Institute of India,
DEHRADUN.

Vide O.O. ~~dated~~ No. A12-3/2007-WII dated 26th March, 2007 and in accordance with the applicable rules Governing the process of Assessment Promotion in the Group-III/II Technical Services and approval of the competent Authority, the following technical staff of this Instt. is promoted to the next higher group and grade with effect from the date mentioned as under:

Name & Designation	Present group grade and payscale	promoted group grade and payscale	from
1. Sh. B.S. Chauhan, Tradesman 'A' Library	II (I) 3050-4590	II (2) 4000-100-6000	27.11.2002

This issues with the approval of the C.A.

A.O.

He will be granted Grade 9. Rs. 4500-125-7000 (Pre-revised Rs. 1350-2200 & Rs. 1400-2300) w.e.f. 27.11.2002. Fresh calculations may be made upto date accordingly.

26.9.12

Annexure-A

FINANCE SECTION
WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
CHANDRABANI, DEHRADUN

D

No. WII/FIN/2018-19/83

Dated: 01st February 2019

CIRCULAR

It has been intimated by the Principal Director of Audit Scientific Departments. New Delhi vide their letter No (SD)/EA/T.P/2018-19/1671 dated 01st February 2019 that audit party headed by Sh. Dinesh Kumar, Senior Audit Officer alongwith Shri Naveen Gupta, Audit Officer, Smt Priyaka Mohil, Audit Officer, Sh. Vikram Nagpal, Asstt Audit Officer, Sh. Ashok Kumar, Aaudit Officer will be visiting to the Institute wef 04th February 2019 onwards to carry out Transaction Audit of Accounts of Institute for the Financial Year 2016-2017 and 2017-18 of Grant-in-aid and all projects.

2. It is therefore requested that all concerned should keep ready their Registers, files and all related documents/correspondence etc. for producing to audit team as and when required.

01/02/19

(Ajay Srivstava)
Registrar

Copy to :-

1. **PA to Director** - **for kind information.**
2. **PA to Dean FWS**
3. **HoDs/All Faculty**
4. **Guest House Incharge** - **Please make necessary stay and catering arrangement for audit party during the period of their stay from 04th February 2019 to 16th February 2019.**
5. **F.T.O.** - **Please make necessary seating arrangements, Telephone and transport for the visiting audit party.**
6. **System Manager** - **Kindly install a computer with internet Connection and printer for the audit party.**

(2)

F.No.39-2/2016-TS.1(pt.)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
Technical Section-1
*****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 3rd November, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Grant of Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) to Central Government Employees for the year 2015-16 and 2016-17 – Extension of orders to Autonomous Bodies – reg

The undersigned is directed to say that the orders for payment of Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) to eligible employees of the Autonomous Bodies have not been issued for 2015-16 and 2016-17. This Ministry has been receiving letters from these institutes as well as representations from employees in this regard.

2. In view of the above, it is requested that the orders for grant of non-productivity linked bonus (ad-hoc bonus) for the year 2015-16 and 2016-17 to the employees of Automous Bodies including IITs may please be issued so that the same could be endorsed to the Institutes.

(Kundan Nath)
Under Secretary to the Government of India
Ph. No. 011- 23381698

Ministry of Finance,
Department of Expenditure,
(Shri Amar Nath Singh, Director, E III-A Branch)
North Block, New Delhi.

Copy for information to Registrars of all IITs.

2/3

(2)

F.No.39-2/2016-TS.1(pt.)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
Technical Section-1
*****

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 3rd October, 2018

To,

The Registrars,
All IITs.

Subject:- Grant of Non-Productivity Linked Bonus (Ad-hoc Bonus) to the employees of Autonomous bodies for the year 2015-16 and 2016-17– regarding.

Sir,

I am directed to forward a copy of Office Memorandum No.877776/E-III(A)/2018 dated July 25, 2018 received from Department of Expenditure, Ministry of Finance on the subject mentioned above for information and appropriate action.

Yours faithfully,

3/10

(Prashant Agarwal)
Director(IITs)
Tele. (#) 011-2307 3271

Encl.: As above.

3/4

(4)

हिन्दुस्तान, 4 जुलाई 2019 P.-1

तोहफा : न्यूनतम वेतन की गारंटी देगी सरकार

नई दिल्ली | **विशेष संवाददाता**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वेतन संहिता विधेयक 2019' को बुधवार को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार देशभर के कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करेगी, जिससे कम वेतन राज्य सरकारें नहीं दे पाएंगी।

इस बिल के इसी संसद सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार की योजना पुराने कई श्रम कानूनों को सरल कर उनकी जगह सिर्फ चार कानून बनाने की है जिसमें यह पहला कानून होगा। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार रेलवे और खनन समेत कुछ क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करेगी जबकि राज्य अन्य श्रेणी के रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। न्यूनतम मजदूरी में हर पांच साल में संशोधन होगा।

> धान का एमएसपी बढ़ा पेज 12

अहम प्रावधान

- वेतन भुगतान के लिए सेक्टर और वेतन की अधिकतम सीमा की श्रेणी खत्म की गई।
- अब हर सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, चाहें उनका वेतन कितना ही क्यों न हो, इसके दायरे में आएंगे।
- न्यूनतम वेतन, बोनस, समान वेतन के लिए कर्मियों द्वारा दावा करने की अवधि को बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है।

4/4

Annexure-B

(1)

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

Writ Petition (S/S) No.1580 of 2011

M.D. Gupta ..... **Petitioner**

Versus

Wild Life Institute of India & others ..... **Respondents**

Mr.M.C. Pant, Advocate for the petitioner.
Ms. Anjali Bhargava, Standing Counsel for the Union of India/ respondent nos.1 & 2.
Ms. Mamta Bisht, Advocate for respondent no.3.
Mr. D. Barthwal, Advocate for respondent nos.4 & 6 to 11.

Hon'ble Servesh Kumar Gupta, J.

Having heard learned counsel for all the parties, it transpires that innumerable illegalities and irregularities have been done by the Directors of this Wild Life Institute (*an autonomous body working under the Ministry of Forest and Environment, Union of India*), the outcome whereof is the illegal appointments and promotions on the whims and caprices of Directors of this Institute, *de hors* all the recruitment and promotion rules, for the reasons best known to them. By such whimsical and arbitrary action on the part of directors, from time to time, respondent nos.4 to 11 were favoured in the manner of appointment or promotion. If the appointments were made on a particular post, then those were without publication of any advertisement, at any time, rendering an equal opportunity to the competent persons and likewise, the promotions were made by such officer *de hors* the rules favouring persons of their choice. Such an action on the part of responsible officers, inasmuch as holding the rank of Director, made the petitioner victim. So, he moved to the Government of India. Furthermore, one of the Directors Mr. S. Singsit, when noticed these irregularities and

1/2

(2)

on the post of Hindi Translator will remain in the feeder channel for promotion to the post of Section Officer. In future, the isolated post of Hindi Translator will get promotional avenues as per GoI guidelines.'

The Director of the Institute is also ordered to take appropriate steps to revert back those respondents who have got illegal promotions *de hors* the Rules.

Let the compliance of the order be made as quickly as possible but not later than within six weeks, otherwise the Court may contemplate to lodge the FIR against such delinquent officials and the office superintendent as well, who may be in conspiracy with the Director. The Court may further consider to lodge an FIR against the Director as well as the Office Superintendent besides entrusting the matter to the CBI for holding enquiry in the matter.

The petition stands disposed of accordingly.

(Servesh Kumar Gupta, J.)
26.05.2015

Rdang

Annexure-C

(1)

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

Special Appeal No. 826 of 2019

Wildlife Institute of India and others ...Appellants

Vs.

Arun Kumar Dubey ...Respondent

Mr. Rakesh Thapliyal, learned Assistant Solicitor General with Mr. Sanjay Bhatt, learned Standing Counsel, for the Union of India-Appellants.
Mr. Pankaj Miglani, learned counsel for the respondent-writ petitioner.

Dated: 02nd September, 2019

Coram: Hon'ble Ramesh Ranganathan, C.J.
Hon'ble Alok Kumar Verma, J.

Ramesh Ranganathan, C.J. (Oral)

This Special Appeal is preferred by the respondents, in Writ Petition (S/S) No. 3679 of 2017, aggrieved by the order passed by the learned Single Judge dated 09.07.2019. The respondent-writ petitioner herein had filed the said writ petition seeking a writ of certiorari to quash the orders dated 07.07.2015 and 25.10.2017; and a writ of mandamus directing the respondents to promote him to the post of Accountant (O-4 Grade) w.e.f. 12.12.1997, and to grant him promotion to the post of O-5 Grade five years thereafter i.e. since 12.12.2002, and to consider his later promotions strictly in accordance with the orders dated 28.11.2016 and 10.01.2017 passed in Special Appeal No. 338 of 2015.

2. Facts, to the limited extent necessary, are that the appellant-Institute framed Recruitment Rules in the year 1986, in terms of which the post of Hindi Translator was among the posts specified in O-3 Grade. The mode of appointment, to the post of Hindi Translator in O-3 Grade, was by way of promotion from employees in O-2 Grade, who had put in atleast 05 years of service. On the ground that there was no person in O-2 Grade, eligible to be promoted as Hindi Translator in O-3 Grade, the Governing Body of the appellant-Institute passed a Resolution on 21.07.1988 resolving that the post of Hindi Translator be filled up by way

1/2

(2)

more than two decades of service, and the Directors, who had played such a felonious role had also retired, it was not feasible to take any stringent action against those delinquents and to issue termination orders to these persons, but at least the petitioner therein should be safeguarded from injustice.

5. While quashing the clause prescribed in the 2007 Rules, which provided that "the present incumbent on the post of Hindi Translator will remain in the feeder channel for promotion to the post of Section Officer; and, in future, the isolated post of Hindi Translator will get promotional avenues as per Government of India guidelines", the learned Single Judge directed the Director of the appellant-Institute to take appropriate steps to revert back those respondents who were given illegal promotion de hors the Rules. The learned Single Judge observed that, if the order was not complied with, he would contemplate lodging an FIR against the delinquent officials, and the office superintendent who had conspired with the Director; and he may further consider lodging an FIR against the Director as well as the office superintendent, besides entrusting the matter to the CBI for holding an inquiry into the matter.

6. It is only in the fresh Recruitment Rules, made in the year 2007, that the post of Hindi Translator was treated as an isolated post. The learned Single Judge, in his order in Writ Petition (S/S) No. 1580 of 2011 dated 26.05.2015, had only directed that appropriate steps be taken to revert back those respondents who were given illegal promotion *de hors* the Rules. Though the respondent-writ petitioner herein was not among the respondents, in Writ Petition (S/S) No. 1580 of 2011, the appellant-Institute, by its proceedings dated 07.07.2015, reverted the respondent-writ petitioner, from the post of Accountant to that of Hindi Translator, on the premise that the post of Hindi Translator was an isolated post, and was not part of the feeder category for promotion as an Accountant. While Mrs. Baljeet Kaur, along with others, (who were respondents 4 to 11 in Writ Petition (S/S) No. 1580 of 2011), preferred Special Appeal No.

(3)

22. The order under Appeal passed by learned Single Judge, directing the appellant-Institute to give the respondent-writ petitioner the benefits flowing as a consequence of his promotion granted on 22.09.1999, cannot be construed as obligating the appellant-Institute to promote the petitioner automatically to the next higher posts, without adhering to the Rules in force. Suffice it, in such circumstances, to make it clear that the respondent-writ petitioner shall be considered for promotion to higher posts, if he is otherwise eligible to be promoted to such higher posts, strictly in accordance with the conditions stipulated in the Rules in force.

23. The Special Appeal is, accordingly, disposed of. No costs.

(Alok Kumar Verma, J.)
02.09.2019

(Ramesh Ranganathan, C.J.)
02.09.2019

Rahul